बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

भारत सरकार के द्वारा दिनांक 24.03.2020 के प्रभाव से लागू लॉकडाउन के आलोक में दिनांक 19.04.2020 तक सामान्य काम–काज के लिए विभागीय कार्यालय बंद थे। दिनांक 20.04.2020 के प्रभाव से ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय खुल गए हैं। समूह–'क' एवं समूह–'ख' के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है और समूह–'ग' एवं 'अन्य' अधीनस्थ कर्मियों को चक्रण के आधार पर कार्यालय आने का आदेश दिया गया है। वित्त विभाग के ज्ञापांक 2419 दिनांक 04.05.2020 के द्वारा लॉकडाउन में मुख्यालय से बाहर एवं कर्त्तव्य से अनुपस्थित कर्मियों के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं और प्रत्येक कर्मी से दिनांक 04.05.2020 के प्रभाव से पदस्थापन वाले स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा की गई और साथ ही वेतन भुगतान तथा अनुपस्थिति के विनियमन के निदेश दिये गए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोकल ट्रेन से प्रतिदिन यात्रा कर कर्त्तव्य हेतु आने वाले कर्मियों को मात्र दिनांक 03.05.2020 तक उपस्थिति से छूट दी गई है।

उक्त के आलोक में निदेश है कि ग्रामीण कार्य विभाग के विभागीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में जब तक सक्षम प्राधिकार द्वारा अन्यथा आदेशित नहीं हो, समूह–'क' एवं समूह–'ख' के सभी पदाधिकारी नियमित रूप से उपस्थित होकर कर्त्तव्य का निर्वहन करेंगे। समूह–'ग' एवं अन्य अधीनस्थ कर्मियों की उपस्थिति भी चक्रण के आधार पर विभागीय पत्रांक 107/स0 दिनांक 15.04.2020 के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी और यदि आवश्यकता हो, तो कार्यालय प्रधान को आवश्यकतानुसार समूह–'ग' एवं अन्य अधीनस्थ कर्मियों की सेवा लेने की छूट होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण पथों के निर्माण का कार्य तेजी से आरम्भ किया गया है। अतः कार्यालय में सामान्य काम–काज बहाल करने की अपरिहार्यता है।

उक्त के आलोक में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अगले माह के वेतन का भुगतान करेंगे और आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकार की अनुमति से अनुमान्य अवकाश की

स्वीकृति एवं अनुपस्थिति अवधि के समायोजन के बाद ही वेतन भुगतान करेंगे। संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में भी यह पूर्णतः लागू होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5/5/20

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक– 133/स्था पटना, दिनांक– 5.5.20

प्रतिलिपिः– अपर सचिव–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/20
सचिव

ज्ञापांक– 133/स्था० पटना, दिनांक– 5.5.20

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी (तक0)/सचिव के आप्त सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/20
सचिव